कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 3497 / 15-1 दिनांक, झांसी, जनवरी, 23 2018

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक,
पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड,
हाउस नं0 ए–13 बालाजी ग्रीन कॉलौनी,
फिल्टर मेन रोड बाहर दतियागेट,
झांसी पिन–284003।

विषयः– पावर ग्रिड कार्पोरेशन झांसी द्वारा 765 के0वी0 द्विपक्षीय लिलो सतना–ग्वालियर विद्युत परेषण लाइन के निर्माण में झांसी वन प्रभाग में 0.1742 है0 संरक्षित वनभूमि एवं 08 वृक्षों के पातन तथा उरई वन प्रभाग में 0.1144 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 14 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 0.2886 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित कुल 22 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तत मंत्रालय केन्द्रीय भवन पंचम तल सेक्टर–4 अलीगंज लखनऊ के पत्र सं0 8बी/यू0पी0/04/29/2017/एफ0सी0/757, दिनांक 10.01.2018 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्र सं0

महोदय,

भारत सरकार एवं नोडल अधिकारी लखनऊ के मुख्य वन संरक्षक उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्रों के द्वारा पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि0 झांसी 765 के0वी0 द्विपक्षीय लिलो सतना–ग्वालियर विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण में झांसी वन प्रभाग की 0.1742 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 8 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में उल्लिखित शर्तो के साथ प्रदान की गई है। उक्त निम्न शर्तो के अनुपालन में अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें। जिससे प्रस्ताव में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

(बिन्दु सं0–1)– शर्त सं0 1, 2, 3,क के अनुपलान में निम्न प्रकार धनराशि कैम्पा में ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से भुगतान करना सुनिश्चित करें।

शर्त सं0–1	झांसी वन प्रभाग में प्रभावित 8 वृक्षों के दस गुने अर्थात 80 वृक्षों का आर0सी0सी0 गार्ड में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के रखरखाव एवं अनुरक्षण हेतु धनराशि वर्तमान दरों को समाहित करते हुये (रू0में)	242108.00
शर्त सं0–2	विद्युत लाइन के नीचे स्थलवार बौने पौधो/औषधीय पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का रखरखव हेतु आवश्यक धनराशि (रू0में)	2225100.00
शर्त सं0–3क	शुद्ध वर्तमान मूल्य/एन0पी0वी0 की धनराशि (रू0में)	109049.00
	योग	2576257.00

(पच्चीस लाख छियत्तर हजार दो सौ सत्तावन रूपया मात्र)

(बिन्दु सं0–2)– शर्त सं0 3ख के अनुपालन में उपरोक्तानुसार मदवार जमा की गई धनराशि की ऑनलाइन रसीद/आर0टी0जी0एस0/एन0एफ0टी0 (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी, आर0सी0सी0 गार्ड क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, औषधीय पौधों का वृक्षारोपण तथा अन्य जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित करें।

(बिन्दु सं0–3)– शर्त सं0 (3ग) के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करें कि यदि एन0पी0वी की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

(बिन्दु सं0–4)– शर्त सं0–4 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि विधिवत् स्वीकृत जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र/स्थलवार क्षेत्र का सीमा स्तम्भो द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उसकी दिशा (Bering) भी लिखनी होगी उपरोक्त कार्य प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा।

(बिन्दु सं0–5)– शर्त सं0–5 के अनुपालन में मक डिस्पोजल योजना प्रस्तुत करें।

(बिन्दु सं0–6)– शर्त सं0–6 के अनुपालन में भविष्य में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

(बिन्दु सं0–7)– शर्त सं0–7 के अनुपालन में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

(बिन्दु सं0–8)– शर्त सं0–8 अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र –11–306/2014–एफ0सी0 (Pt.) दिनांक 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त सैद्धन्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुपालनार्थ अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0, वन्यजीव संरक्षण योजना, बौने औषधीय पौधों के वृक्षारोपण हेतु एवं अन्य मद में जमा होने वाली धनराशि कैम्पा में जमा किये जाने के उपरान्त एवं गैर वनभूमि प्रत्यावर्तन के मामलों में गैर वनभूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण के उपरान्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रकरण में प्रस्तावित वृक्षों का पातन एवं कार्य आरम्भ किया जा सकता है।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या तत्काल प्रस्तुत करें जिससे प्रस्ताव में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को संदर्भित पत्र के कम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त उ0प्र0 झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी

कार्यालय– उप वन संरक्षक, जालौन सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उरई।

पत्रांक – 1939 / 33-1 / उरई, दिनांक, जनवरी 30 2018।

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक
पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
हाउस नं0 ए–13 बालाजी ग्रीन कॉलोनी
फिल्टर मेन रोड़ बाहर दतियागेट
झॉसी पिन– 284003।

विषयः– **पॉवर ग्रिड कार्पो0 ऑफ इण्डिया लि0 झॉसी द्वारा 765 के0वी द्विपक्षीय लिलो सतना–ग्वालियर विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण में झॉसी वन प्रभाग में 0.1742 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 08 वृक्षों के पातन तथा उरई वन प्रभाग में 0.1144 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 14 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 0.2885 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित कुल 22 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।**

संन्दर्भः– **भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय केन्द्रीय भवन पंचम तल सेक्टर–4 अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या 8बी/यू0पी0/04/29/2017/ एफ0सी0/757 दिनांक 10.01. 2018।**

महोदय,

भारत सरकार उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा पॉवर ग्रिड कारपोरेशन लि0 झॉसी 765 के0वी0 सतना–ग्वालियर विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण में उरई वन प्रभाग के 0.1144 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 14 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में उल्लिखित शर्तो के साथ प्रदान की गयी है। उक्त शर्तो के अनुपालन हेतु निम्नानुसार आख्या/कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके :–

शर्त संख्या–1	उरई वन प्रभाग के 0.1144 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 14 वृक्षों के 10 गुने अर्थात् 140 वृक्षों का ब्रिकगार्ड में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के रखरखाव एवं अनुरक्षण हेतु धनराशि वर्तमान दरों को समाहित करते हुए रू0 में	667750.00
शर्त संख्या–2	विद्युत लाइन के नीचे बोने औषधीय पौधों का ब्रिकगार्ड में रोपण एवं 10 वर्षो का रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 में	648960.00
शर्त संख्या–3 क	शुद्ध वर्तमान मूल्य एवं एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 में	71614.00
	योग	**1388324.00**

(तेरह लाख अठासी हजार तीन सौ चौबीस रू0 मात्र)

बिन्दु संख्या 2– शर्त संख्या 3 ख के अनुपालन में उपरोक्तानुसार मदवार जमा की गयी धनरशि की ऑन लाइन रसीद/आर0टी0जी0एस0/एन0एफ0टी0 (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण प्रेषित करें।

बिन्दु संख्या 3– शर्त संख्या 3 ग, 4, 5, 6, 7 के अनुपालन से सम्बन्धित प्रमाण पत्र भी प्रेषित करें। उपरोक्तानुसार सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुबार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या तत्काल प्रस्तुत करें जिससे प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(बी.आर. अहिरवार)
प्रभागीय वनाधिकारी
जालौन सा0वा0, वन प्रभाग उरई।

पृ0सं0– / समदिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक बुन्देलखण्ड वृत्त उ0प्र0 झॉसी

(बी.आर. अहिरवार)
प्रभागीय वनाधिकारी
जालौन सा0वा0, वन प्रभाग उरई।

E:\Forest\survey amine \sarve amin letter